उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपकम)
U.P. POWER TRANSMISSION CORPRATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्याः 2415–पारे0अनु0–16/पाट्राकालि–2017–37/2013 दिनांकः 18 जुलाई, 2017

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 कार्यहित में पारेषण पूर्व, इलाहाबाद का पुनर्गठन कर, निम्नानुसार नये पारेषण क्षेत्रों के सृजन की एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

(अ) पारेषण उत्तर–पूर्व, गोरखपुर

1. इस क्षेत्र का मुख्यालय गोरखपुर (उ0प्र0) में होगा।
2. यह क्षेत्र मुख्य अभियन्ता (वैद्युत एवं यांत्रिकी) (स्तर–।।) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगा।
3. मुख्य अभियन्ता, पारेषण उत्तर–पूर्व, गोरखपुर के कार्यालय हेतु अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता स्तर के एक–एक अधिकारी सम्बद्ध होंगे, जिनका आवंटन अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता के नवस्वीकृत पदों से किया जायेगा।
4. इस क्षेत्र के नियंत्रणाधीन निम्नलिखित मण्डल कार्यरत् होंगेः–

   अ. विद्युत पारेषण मण्डल, गोरखपुर।
   ब. विद्युत पारेषण मण्डल, गाजीपुर।
   स. विद्युत पारेषण मण्डल, आजमगढ़।
   द. विद्युत परीक्षण एवं परिचालन मण्डल, गोरखपुर (नवसृजित)।

(ब) पारेषण दक्षिण–पूर्व, इलाहाबाद

1. इस क्षेत्र का मुख्यालय इलाहाबाद (उ0प्र0) में होगा।
2. यह क्षेत्र मुख्य अभियन्ता (वैद्युत एवं यांत्रिकी) (स्तर–।।) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगा।
3. पूर्ववर्ती मुख्य अभियन्ता, पारेषण पूर्व, इलाहाबाद के कार्यालय हेतु स्वीकृत अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता के सम्बद्ध पद अब मुख्य अभियन्ता, पारेषण दक्षिण–पूर्व, इलाहाबाद के कार्यालय हेतु स्वीकृत माने जायेंगे।
4. इस क्षेत्र के नियंत्रणाधीन निम्नलिखित मण्डल कार्यरत् होंगेः–

   अ. विद्युत पारेषण मण्डल–प्रथम, इलाहाबाद।
   ब. विद्युत पारेषण मण्डल–द्वितीय, इलाहाबाद।
   स. विद्युत पारेषण मण्डल, मिर्जापुर।
   द. विद्युत पारेषण मण्डल, वाराणसी।
   र. विद्युत परीक्षण एवं परिचालन मण्डल, इलाहाबाद।

1. उक्त आदेशों के व्यवहारिक/भौतिक कियान्वयन हेतु अपेक्षित व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में समस्त औपचारिकताओं को यथाविधि पूरा किये जाने एवं इस सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने का सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, पारेषण क्षेत्रों का होगा।
2. पूर्ववर्ती मुख्य अभियन्ता, पारेषण पूर्व, इलाहाबाद के कार्यालय हेतु स्वीकृत कार्मिकों के पदों का बंटवारा, इन नवसृजित क्षेत्रों के मध्य सम्बन्धित क्षेत्र के मुख्य अभियन्ताओं द्वारा दिये गये प्रस्ताव के उपरान्त किया जायेगा।
3. अग्रेतर आदेशों तक इन नवसृजित क्षेत्रों के जानपदीय कार्य, विद्युत जानपद पारेषण मण्डल, इलाहाबाद द्वारा सम्पादित किये जायेंगे।
4. इन आदेशों के परिणामस्वरूप होने वाला सम्भावित व्यय–भार उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0 के सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के आय–व्ययक में आगणित होगा।
5. किन्हीं अन्य अपरिहार्य स्थितियों में निर्णय लेने का अधिकार कारपोरेशन मुख्यालय में निहित होगा।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 2415(i)–पारे0अनु0–16/पाट्राकालि–2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मा0 ऊर्जा मंत्री/मा0 ऊर्जा राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश के निजी सचिव।
2. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0।
8. अपर सचिव–द्वितीय/संयुक्त सचिव (अ0प्र0–01), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. उप मुख्य लेखाधिकारी (मुख्यालय), उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. उप सचिव (गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. अधिशासी अभियन्ता सम्बद्ध निदेशक (आपरेशन), उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली।

आज्ञा से,

(ए0 के0 श्रीवास्तव)
उप सचिव (पारेषण)